

जीवन, रिटायरमेंट के बाद



एलआईसी की न्यू जीवन धारा-II आपको
सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीड आय के साथ
वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद लेने में मदद करती है।



यूआईएन: 512N398V01 | प्लान नं.: 892

नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत, विलम्बित वार्षिकी योजना

मुख्य विशेषताएँ:

- पॉलिसी की शुरूआत से ही सुनिश्चित वार्षिकी करें
- विलम्बित अवधि के बाद जीवनभर वार्षिकी भुगतान
- वार्षिकी के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध
- नियमित प्रीमियम एवं एकल प्रीमियम के विकल्प
- एकल जीवन एवं संयुक्त जीवन वार्षिकी के विकल्प
- टॉप-अप सुविधा - अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान द्वारा वार्षिकी बढ़ाने का विकल्प



ऑनलाइन भी उपलब्ध



LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

क्यूआर कोड स्कैन करें और
My LIC App डाउनलोड करें



ऑनलाइन करें: licindia.in

कॉल सेंटर कॉल करें
(022) 6827 6827

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090



अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेंट/अपनी निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/ www.licindia.in पर जाएं

हमें यहाँ फॉलो करें: [f](#) [y](#) [x](#) [in](#) LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

एलआईसी की न्यू जीवन धारा-॥ (यूआईएन: 512N398V01)

(एक असहभागी, असंबद्ध, व्यक्तिगत, बचत,
आस्थगित वार्षिकी योजना)

एलआईसी की न्यू जीवन धारा-॥ एक असहभागी, असंबद्ध, व्यक्तिगत, बचत, आस्थगित वार्षिकी योजना है। वार्षिकी दरें पॉलिसी के प्रारंभ में गारंटीकृत होती हैं और वार्षिकियाँ आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी(ओं) के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान बकाया (एरियर) रूप में देय होती हैं।

यह एक असहभागी उत्पाद है जिसके अंतर्गत मृत्यु या उत्तरजीविता पर देय हितलाभ (चुने गए वार्षिकी विकल्प के अनुसार) गारंटीकृत और नियत होते हैं, चाहे वास्तविक अनुभव कुछ भी हो। अतः यह पॉलिसी बोनस आदि जैसे किसी भी विवेकाधीन हितलाभ या अधिशेष में हिस्सेदारी के लिए हकदार नहीं है।

यह योजना लाइसेंसधारी अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, दलालों, बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) के माध्यम से ऑफलाइन तथा वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन खरीदी जा सकती है। तथापि, यह पॉइंट ऑफ सेल पर्सन - लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी-एलआई)/कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी-एसपीवी) के माध्यम से विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है।

संभावित पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा पॉलिसी खरीदने संबंधी निर्णय लेते समय उत्पाद की विशेषताओं, संबद्ध जोखिमों व हितलाभों का संदर्भ लिया जाए तथा उत्पाद/उत्पाद के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों में से वह चुना जाए, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त हो।

1. मुख्य विशेषताएं:

- आपकी ज़रूरतों के अनुरूप वार्षिकी विकल्पों की व्यापक श्रृंखला।
- चुनने के लिए विकल्प:
 - नियमित प्रीमियम एवं एकल प्रीमियम।
 - एकल जीवन वार्षिकी तथा संयुक्त जीवन वार्षिकी।
 - उपलब्ध आस्थगन अवधि [2 वर्ष से 15 वर्ष तक (नियमित प्रीमियम के मामले में) और 1 वर्ष से 15 वर्ष तक (एकल प्रीमियम के मामले में)] अर्थात् इनमें से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिकी भुगतान शुरू कर सकते हैं।
 - वार्षिकी भुगतान का तरीका (वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक)।
- उच्च प्रीमियम/क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन राशि
- निगम के मौजूदा पॉलिसीधारकों/नामित व्यक्ति/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन
- टॉप-अप वार्षिकी अर्थात् आस्थगन अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके वार्षिकी बढ़ाने का विकल्प
- मृत्यु हितलाभ एकमुश्त, वार्षिकीकरण के रूप में या किस्तों में लेने का विकल्प
- तरलता विकल्प यानी वार्षिकी भुगतान और अन्य लाभों में कटौती के बदले एकमुश्त राशि प्राप्त करने का विकल्प

- प्रीमियम के वापसी के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्प के मामले में अग्रिम वार्षिकी विकल्प अर्थात् जीवित वार्षिकीधारी के लिए विकल्प [प्रथम मृत्यु पर (कवर किए गए जीवन में से किसी एक का)] 'अग्रिम वार्षिकी अवधि' के दौरान देय वार्षिकी का रियायती नकद मूल्य एकमुश्त के रूप में आहरित करने के लिए विकल्प

2. वार्षिकी विकल्प:

इस योजना के तहत उपलब्ध वार्षिकी विकल्प निम्नानुसार हैं:

प्रीमियम का भुगतान	वार्षिकी का प्रकार	वार्षिकी विकल्प	
नियमित प्रीमियम	एकल जीवन वार्षिकी	विकल्प - 1	एकल जीवन हेतु जीवन वार्षिकी
		विकल्प - 2	एकल जीवन के लिए प्रीमियम के रिटर्न सहित जीवन वार्षिकी
		विकल्प - 3	एकल जीवन के लिए 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रीमियम की 50% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी
		विकल्प - 4	एकल जीवन के लिए 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रीमियम के 100% रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी
		विकल्प - 5	एकल जीवन के लिए 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रीमियम के 50% रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी
		विकल्प - 6	एकल जीवन के लिए 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रीमियम के 100% रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी
		विकल्प - 7	एकल जीवन के लिए 76 वर्ष से 95 वर्ष की आयु के बाद प्रीमियम के 5% रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी
	संयुक्त जीवन वार्षिकी	विकल्प - 8	संयुक्त जीवन हेतु जीवन वार्षिकी
		विकल्प - 9	संयुक्त जीवन के लिए प्रीमियम के रिटर्न सहित जीवन वार्षिकी
एकल प्रीमियम	एकल जीवन वार्षिकी	विकल्प - 10	एकल जीवन के लिए खरीद मूल्य के रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी
	संयुक्त जीवन वार्षिकी	विकल्प - 11	संयुक्त जीवन के लिए खरीद मूल्य के रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी

वार्षिकी विकल्प का चयन अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि योजना के अंतर्गत वार्षिकी दरें और हितलाभ चुने गए विकल्प के अनुसार भिन्न होंगे और उन्हें बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्पों के मामले में, प्राथमिक वार्षिकीधारी वार्षिकी भुगतान प्राप्त करने वाला मुख्य व्यक्ति होगा और द्वितीय वार्षिकीधारी को वही वार्षिकी तभी प्राप्त होगी जब प्राथमिक वार्षिकीधारी की मृत्यु हो जाती है।

3. पात्रता शर्तें एवं अन्य प्रतिबंध:

i) प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु: 18 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
(वार्षिकीधारी/प्राथमिक/द्वितीय वार्षिकीधारी के लिए)

ii) प्रवेश हेतु अधिकतम आयु:
वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी के लिए:

वार्षिकी विकल्प	आयु वर्षों में (पिछला जन्मदिन)
विकल्प: 2,5,6,7, 9, 10 और 11	70 माइनस आस्थगन काल
विकल्प: 1, 3, 4 और 8	65 माइनस आस्थगन काल

द्वितीय वार्षिकीधारी के लिए:

वार्षिकी विकल्प	आयु वर्षों में (पिछला जन्मदिन)
विकल्प: 8	65 माइनस आस्थगन काल
विकल्प: 9 और 11	70 माइनस आस्थगन काल

iii) न्यूनतम निहित आयु: वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी के लिए 30 वर्ष
(अंतिम जन्मदिन) [विकल्प 1 से 11 तक सभी वार्षिकी विकल्पों के लिए]

iv) अधिकतम निहित आयु: वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी के लिए

वार्षिकी विकल्प	आयु वर्षों में (पिछला जन्मदिन)
विकल्प: 2,5,6,7, 9, 10 और 11	70
विकल्प: 1, 3, 4 और 8	65

v) पॉलिसी अवधि: लागू नहीं

vi) आस्थगन अवधि : 2 से 15 वर्ष (नियमित प्रीमियम के लिए)
: 1 से 15 वर्ष (एकल प्रीमियम के लिए)

[आस्थगन अवधि (डीपी) पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए वर्षों में, पॉलिसी की आरंभ की तिथि से निहित होने की तिथि तक की अवधि को संदर्भित करती है।]

vii) प्रीमियम भुगतान अवधि:

नियमित प्रीमियम के अंतर्गत : आस्थगन अवधि के समान
एकल प्रीमियम के अंतर्गत : एकल भुगतान

viii) न्यूनतम प्रीमियम:

55 वर्ष से कम प्रवेश आयु (पिछला जन्मदिन) और 55 वर्ष से अधिक अथवा समान आयु (पिछला जन्मदिन) के लिए विभिन्न वार्षिकी विकल्पों और आस्थगन

अवधि (डीपी) के लिए न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम/खरीद मूल्य इस प्रकार होगा:
ए) न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (नियमित प्रीमियम के मामले में):

वार्षिकी विकल्प	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (रु.)							
	डीपी (10 से 15)		डीपी (7 से 9)		डीपी (5 से 6)		डीपी (2 से 4)	
		आयु 55 वर्ष से कम	आयु 55 वर्ष और अधिक	आयु 55 वर्ष से कम	आयु 55 वर्ष और अधिक	आयु 55 वर्ष से कम	आयु 55 वर्ष और अधिक	आयु 55 वर्ष से कम
विकल्प - 1	11,000	16,000	18,000	25,000	29,000	38,000	85,000	1,07,000
विकल्प - 2	15,000	17,000	25,000	27,000	39,000	41,000	1,22,000	1,15,000
विकल्प - 3	17,000	17,000	29,000	28,000	46,000	43,000	1,44,000	1,26,000
विकल्प - 4	20,000	19,000	35,000	32,000	57,000	49,000	1,92,000	1,40,000
विकल्प - 5	16,000	17,000	27,000	27,000	44,000	41,000	1,40,000	1,20,000
विकल्प - 6	17,000	17,000	31,000	28,000	52,000	43,000	1,76,000	1,26,000
विकल्प - 7	16,000	17,000	28,000	27,000	45,000	42,000	1,44,000	1,21,000
विकल्प - 8	16,000	17,000	26,000	27,000	39,000	40,000	1,11,000	1,12,000
विकल्प - 9	17,000	17,000	27,000	27,000	41,000	41,000	1,16,000	1,15,000

प्रीमियम भुगतान के अन्य तरीकों के लिए, लागू प्रीमियम रूपांतरण कारक (जैसा कि नीचे पैरा 7 में निर्दिष्ट है) को न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम से गुणा करके लागू न्यूनतम किस्त प्रीमियम प्राप्त किया जाएगा।

उदाहरण के लिए: यदि न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम 16,000 रुपये है, तो प्रीमियम भुगतान के अन्य तरीकों के लिए संबंधित न्यूनतम प्रीमियम इस प्रकार होगा:

अर्धवार्षिक	तिमाही	मासिक
रु. 8,144	रु. 4,109	रु. 1,378

किसी भी मामले में देय न्यूनतम किस्त प्रीमियम (वार्षिक तरीके के अलावा) 1,000 रुपये से कम नहीं होगी।

बी) न्यूनतम खरीद मूल्य* (एकल प्रीमियम के मामले में):

वार्षिकी विकल्प	एकल प्रीमियम (रु.)					
	डीपी (10 से 15)		डीपी (5 से 9)		डीपी (1 से 4)	
	आयु 55 वर्ष और अधिक	आयु 55 वर्ष से कम	आयु 55 वर्ष और अधिक	आयु 55 वर्ष से कम	आयु 55 वर्ष और अधिक	आयु 55 वर्ष से कम
विकल्प - 10	1,01,000	1,27,000	1,56,000	1,70,000	2,12,000	2,16,000
विकल्प - 11	1,27,000	1,29,000	1,71,000	1,72,000	2,16,000	2,17,000

वार्षिकी विकल्प 11 के अंतर्गत, ऊपर दी गई आयु प्रीमियम भुगतान की वार्षिक विधि हेतु न्यूनतम प्रीमियम और उच्च क्रय मूल्य हेतु प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए मुख्य वार्षिकीधारी की आयु को संदर्भित करती है।

*अपवादात्मक मामला, जहाँ ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम वार्षिकी और न्यूनतम क्रय मूल्य (एकल प्रीमियम) लागू नहीं होंगे:

यदि योजना नीचे अनुच्छेद 5.V में निर्दिष्ट अनुसार विकलांगता वाले आश्रित व्यक्ति (दिव्यांगजन) के हितलाभ के लिए खरीदी गई है, तो प्रस्ताव को न्यूनतम वार्षिकी पर किसी प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाएगी और ऐसे मामले में न्यूनतम क्रय मूल्य रु. 50,000/- होगा।

सी) प्रत्येक टॉप-अप वार्षिकी के लिए न्यूनतम अतिरिक्त प्रीमियम: 50,000 रुपये

ix. अधिकतम प्रीमियम: कोई सीमा नहीं, जोखिमांकन निर्णय के अधीन*

(*अनुमत अधिकतम नियमित प्रीमियम/खरीद मूल्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिमांकन पॉलिसी के स्वीकार के अधीन होगा।)

x. न्यूनतम वार्षिकी:

वार्षिकी का तरीका	मासिक	तिमाही	छमाही	वार्षिक
न्यूनतम वार्षिकी	1,000 रुपये प्रति माह	3,000 रुपये प्रति तिमाही	6,000 रुपये प्रति छमाही	12,000 रुपये प्रति वर्ष

संयुक्त जीवन वार्षिकी: संयुक्त जीवन वार्षिकी परिवार के किसी भी दो वंशज/पूर्वज (जैसे दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे, पोते-पोतियों) अथवा पति-पत्नी (जीवनसाथी) या सहोदर भाई बहन या सास ससुर के बीच ली जा सकती है।

4. हितलाभ:

ए) उत्तरजीविता/मृत्यु हितलाभ:

चुने गए वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत वार्षिकीधारी(ओं) की उत्तरजीविता/मृत्यु पर चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ इस प्रकार होंगे:

वार्षिकी विकल्प	उत्तरजीविता पर देय हितलाभ	मृत्यु पर देय हितलाभ
वार्षिकी विकल्प - 1: एकल जीवन के लिए वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर कुछ भी देय नहीं होगा।	आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा।

	आस्थगन अवधि के बाद: आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया (एरियर) में तब तक किए जाएँगे जब तक वार्षिकीधारी जीवित है।	आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे। कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं होगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
वार्षिकी विकल्प -2: एकल जीवन के लिए प्रीमियम रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर कुछ भी देय नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया (एरियर) में तब तक किए जाएँगे, जब तक वार्षिकीधारी जीवित है।	आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे और नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा।

वार्षिकी विकल्प - 3: एकल जीवन के लिए 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रीमियम पर 50% रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर कुछ भी देय नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: ● आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया में तब तक किए जाएँगे जब तक वार्षिकीधारी जीवित है। ● वार्षिकी भुगतान के अतिरिक्त, प्रदत्त कुल प्रीमियम के 50% के बराबर राशि का अग्रिम प्रीमियम प्रतिदान, आयु के 75 वर्ष पूर्ण होने के साथ मेल खाने वाली या उसके तुरंत बाद वाली पॉलिसी वर्षगाँठ को वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर देय होगी।	आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे और नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर मृत्यु हितलाभ में से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान कर दी गई प्रीमियम की अग्रिम प्रीमियम प्रतिदान की राशि (यदि कोई हो), को घटाकर शेष राशि देय होगी।
--	--	---

वार्षिकी विकल्प - 4: एकल जीवन के लिए 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रीमियम की 100% रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर कुछ भी देय नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: ● आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया में तब तक किए जाएँगे जब तक वार्षिकीधारी जीवित है। ● वार्षिकी भुगतान के अतिरिक्त, प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर राशि का अग्रिम प्रीमियम प्रतिदान, आयु के 75 वर्ष पूर्ण होने के साथ मेल खाने वाली या उसके तुरंत बाद वाली पॉलिसी वर्षगाँठ पर वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर देय होगी।	आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे और नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर मृत्यु हितलाभ में से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान कर दी गई प्रीमियम की अग्रिम प्रीमियम प्रतिदान की राशि (यदि कोई हो), को घटाकर शेष राशि देय होगी।
---	---	---

वार्षिकी विकल्प - 5: एकल जीवन के लिए 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रीमियम के 50% रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर कुछ भी देय नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: ● आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया में तब तक किए जाएँगे जब तक वार्षिकीधारी जीवित है। ● वार्षिकी भुगतान के अतिरिक्त, प्रदत्त कुल प्रीमियम के 50% के बराबर राशि की प्रीमियम की अग्रिम प्रतिदान राशि, आयु 80 वर्ष पूर्ण होने के साथ मेल खाने वाली या उसके तुरंत बाद वाली पॉलिसी वर्षगाँठ पर वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर देय होगी।	आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे और नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर मृत्यु हितलाभ में से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान कर दी गई प्रीमियम की अग्रिम प्रतिदान की राशि (यदि कोई हो), को घटाकर शेष राशि देय होगी।
--	---	--

वार्षिकी विकल्प - 6: एकल जीवन के लिए 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रीमियम के 100% रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर कुछ भी देय नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: ● आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया में तब तक किए जाएँगे जब तक वार्षिकीधारी जीवित है। ● वार्षिकी भुगतान के अतिरिक्त, प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर राशि की प्रीमियम की अग्रिम प्रतिदान राशि, आयु 80 वर्ष पूर्ण होने के साथ मेल खाने वाली या उसके तुरंत बाद वाली पॉलिसी वर्षगाँठ पर वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर देय होगी।	आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे और नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर मृत्यु हितलाभ में से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान कर दी गई प्रीमियम की अग्रिम प्रतिदान की राशि (यदि कोई हो), को घटाकर शेष राशि देय होगी।
---	--	--

वार्षिकी विकल्प - 7: एकल जीवन के लिए 76 से 95 वर्ष की आयु के बाद प्रीमियम की 5% वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर कुछ भी देय नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: ● आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया में तब तक किए जाएँगे जब तक वार्षिकीधारी जीवित है। ● वार्षिकी भुगतान के अतिरिक्त, प्रदत्त कुल प्रीमियम के 5% के बराबर राशि की प्रीमियम की अग्रिम प्रतिदान राशि भी, आयु 76 वर्ष से 95 वर्ष (दोनों सम्मिलित) पूर्ण होने के साथ मेल खाने वाली या उसके तुरंत बाद वाली प्रत्येक संबंधित पॉलिसी वर्षगाँठ पर वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर देय होगी	आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की मृत्यु पर : वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे और नामांकित व्यक्ति(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर मृत्यु हितलाभ में से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान कर दी गई प्रीमियम की अग्रिम प्रतिदान की राशि (यदि कोई हो), को घटाकर शेष राशि देय होगी।
---	---	---

वार्षिकी विकल्प - 8: संयुक्त जीवन के लिए जीवन वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, कुछ भी देय नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: आस्थगन अवधि के बाद मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया में तब तक किए जाएँगे जब तक मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी जीवित है।	आस्थगन अवधि के दौरान: ● (दोनों में से किसी एक बीमाकृत व्यक्ति की) प्रथम मृत्यु पर: कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं होगा और पॉलिसी देय प्रीमियम (यदि कोई हो) के भुगतान के साथ जारी रहेगी। ● अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर: नामिती(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: ● (दोनों में से किसी एक बीमाकृत जीवन की) प्रथम मृत्यु पर: कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं होगा और वार्षिकी राशि का 100% तब तक भुगतान जारी रहेगा जब तक अंतिम उत्तरजीवी जीवित है। ● अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर: वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे। कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं होगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
---	---	--

विकल्प – 9: संयुक्त जीवन के लिए प्रीमियम वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, कुछ भी देय नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: आस्थगन अवधि के बाद मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया में तब तक किए जाएँगे जब तक मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी जीवित है।	आस्थगन अवधि के दौरान: ● (दोनों में से किसी एक बीमाकृत व्यक्ति की) प्रथम मृत्यु पर: कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं होगा और पॉलिसी देय प्रीमियम (यदि कोई हो) के भुगतान के साथ जारी रहेगी। ● अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर: नामिती(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: ● (दोनों में से किसी एक बीमाकृत जीवन की) प्रथम मृत्यु पर: कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं होगा और वार्षिकी राशि का 100% तब तक भुगतान जारी रहेगा जब तक अंतिम उत्तरजीवी जीवित है। ● अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर: वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे और नामिती(यों) को वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर मृत्यु हितलाभ देय होगा।
---	---	--

विकल्प – 10: एकल जीवन के लिए खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, कुछ भी देय नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद: आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया में तब तक किए जाएँगे जब तक वार्षिकीधारी जीवित है।	आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: क्रय मूल्य के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ, वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामिती(यों) को देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा। आस्थगन अवधि के बाद वार्षिकीधारी की मृत्यु पर: वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे और वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार क्रय मूल्य के 100% के बराबर मृत्यु हितलाभ नामिती(यों) को देय होगा।
विकल्प – 11: संयुक्त जीवन के लिए खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी	आस्थगन अवधि के दौरान: आस्थगन अवधि के दौरान मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, कुछ भी देय नहीं होगा।	आस्थगन अवधि के दौरान: ● प्रथम मृत्यु पर (दोनों में से किसी एक बीमाकृत व्यक्ति की): कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं होगा और पॉलिसी जारी रहेगी। ● अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर: क्रय मूल्य के 105% के बराबर मृत्यु हितलाभ, वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामिती(यों) को देय होगा। किसी भी दशा में, उक्त मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि को परिकलित अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा।

	आस्थगन अवधि के बाद: आस्थगन अवधि के बाद मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी की उत्तरजीविता पर, चुनी गई विधि के अनुसार वार्षिकी भुगतान बकाया में तब तक किए जाएँगे जब तक मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी जीवित है।	आस्थगन अवधि के बाद: ● (दोनों में से किसी एक बीमाकृत व्यक्ति की) प्रथम मृत्यु पर: कोई मृत्यु हितलाभ देय नहीं होगा और वार्षिकी राशि का 100% तब तक भुगतान जारी रहेगा जब तक अंतिम उत्तरजीवी जीवित है। ● अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर: वार्षिकी भुगतान तत्काल बंद हो जाएँगे और वार्षिकीधारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार क्रय मूल्य के 100% के बराबर मृत्यु हितलाभ नामिती(यों) को देय होगा।
--	--	--

जहाँ,

‘प्रदत्त कुल प्रीमियम’ का अर्थ है मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर, यदि स्पष्ट रूप से वसूल किए गए हों, शामिल नहीं है।

‘क्रय मूल्य’ (एकल प्रीमियम के मामले में लागू) वह एकल प्रीमियम राशि है जिसका भुगतान पॉलिसीधारक द्वारा किया गया है और जिसे पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभ निर्धारित करने हेतु माना जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा।

‘प्रदत्त कुल प्रीमियम/क्रय मूल्य’ में टॉप-अप वार्षिकी के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगी।

बी) परिपक्वता हितलाभ:

इस योजना के अंतर्गत कोई परिपक्वता हितलाभ नहीं है।

5. उपलब्ध विकल्प:

I. टॉप-अप वार्षिकी:

यह एकल प्रीमियम के रूप में अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके पॉलिसी के तहत वार्षिकी (टॉप-अप वार्षिकी) बढ़ाने का एक विकल्प है और यह निम्नलिखित के अधीन होगा:

- इस विकल्प का प्रयोग सभी वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत आस्थगन अवधि के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, यह उत्पाद उपलब्ध हो और मूल पॉलिसी की शेष आस्थगन अवधि कम से कम एक पूर्ण वर्ष हो।

- ii) टॉप-अप वार्षिकी हेतु अतिरिक्त प्रीमियम से प्राप्त वार्षिकी राशि, अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के समय उपलब्ध प्रचलित वार्षिकी दरों पर आधारित होगी, बशर्ते उत्पाद (विभिन्न संस्करणों सहित) विक्रय हेतु उपलब्ध हो और प्रवेश पर आयु के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाओं तथा आस्थगन अवधि और प्रत्येक टॉप-अप हेतु न्यूनतम अतिरिक्त प्रीमियम आदि के तत्कालीन प्रचलित उत्पाद मानदंड के अनुरूप हों। तथापि, न्यूनतम वार्षिकी किस्त की सीमाएँ लागू नहीं होंगी।
- iii) प्रत्येक बार के लिए देय टॉप-अप वार्षिकी की गणना अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के समय वार्षिकीधारी(ओं) की आयु और तत्कालीन प्रचलित एकल प्रीमियम आस्थगित वार्षिकी विकल्प, यानी एकल जीवन के लिए क्रय मूल्य की वापसी सहित जीवन वार्षिकी (जहाँ मूल वार्षिकी विकल्प एकल जीवन के लिए हो या संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में जहाँ टॉप-अप के भुगतान के समय केवल एक वार्षिकीधारी जीवित हो) और संयुक्त जीवन के लिए क्रय मूल्य की वापसी सहित जीवन वार्षिकी (जहाँ मूल वार्षिकी विकल्प संयुक्त जीवन के लिए हो और टॉप-अप के भुगतान के समय दोनों वार्षिकीधारी जीवित हों) के अनुरूप तत्कालीन प्रचलित वार्षिकी दरों के अनुसार की जाएगी। प्रचलित वार्षिकी दर इस प्रकार निर्धारित की जाएगी ताकि टॉप-अप वार्षिकी का समय मूल वार्षिकी से मेल खाए, उदाहरणार्थ यदि कोई पॉलिसीधारक 10 वर्ष की आस्थगन अवधि का विकल्प चुनता है और 2.5 वर्ष बाद अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके टॉप-अप वार्षिकी का विकल्प चुनता है, तो 7.5 वर्ष के लिए वार्षिकी दरें प्राप्त करने हेतु 7 वर्ष और 8 वर्ष की आस्थगन अवधि की प्रचलित वार्षिकी दरों का उपयोग किया जाएगा।
- iv) अतिरिक्त प्रीमियम के प्रत्येक भुगतान को एकल प्रीमियम के रूप में माना जाएगा जो अपने आप में स्वतंत्र है। सभी प्रावधान अर्थात् उच्च प्रीमियम के लिए प्रोत्साहन, आत्महत्या खंड आदि एकल प्रीमियम आस्थगित वार्षिकी विकल्प पर लागू होंगे।
- v) मृत्यु या अभ्यर्पण या उत्तरजीविता पर देय हितलाभ (वार्षिक हितलाभ) की गणना मूल पॉलिसी और प्रत्येक टॉप-अप वार्षिकी किस्त के लिए अलग से की जाएगी और कुल भुगतान देय होगा।
- vi) देय कुल वार्षिकी राशि मूल वार्षिकी और टॉप-अप वार्षिकी का योग होगी। टॉप-अप वार्षिकी के भुगतान का तरीका मूल वार्षिकी के समान ही होगा।
- vii) टॉप-अप वार्षिकी की किस्त(तों) को मूल पॉलिसी से अलग अभ्यर्पित नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि मूल पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाता है, तो सभी टॉप-अप वार्षिकी किस्तें भी उसी समय अभ्यर्पित मानी जाएँगी।

II. तरलता विकल्प:

यह मूल पॉलिसी के अंतर्गत वार्षिकी भुगतान और अन्य लाभों में कमी के बदले में एकमुश्त राशि प्राप्त करने का एक विकल्प है और टॉप-अप वार्षिकी पर लागू नहीं है। यह विकल्प प्रीमियम की वापसी (विकल्प- 2, 9, 10 और 11) के साथ वार्षिकी विकल्प के तहत उपलब्ध होगा। विकल्प का प्रयोग निम्नलिखित

के अधीन किया जाएगा:

- i) इस विकल्प का उपयोग प्रथम वार्षिकी भुगतान के 5 वर्ष पूरे होने के बाद ही किया जा सकता है।
- ii) पॉलिसी के तहत इस विकल्प की अनुमति अधिकतम 3 बार होगी।
- iii) पॉलिसीधारक को प्रदत्त कुल प्रीमियम के उस भाग के अनुरूप एकमुश्त राशि प्राप्त होगी, जिसे वह नकद कराना चाहता है, उदाहरणार्थ यदि नकदीकरण विकल्प हेतु प्रदत्त कुल प्रीमियम का $x\%$ चुना गया है, तो नकदीकरण की तिथि को लागू (बिना किसी नकदीकरण के परिकलित) मूल पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य का $x\%$ संबंधित नकदीकरण विकल्प के समय देय होगा।
- iv) इस विकल्प के तहत प्राप्त होने वाला कुल एकमुश्त हितलाभ कुल भुगतान किए गए प्रीमियम के 60% से अधिक नहीं हो सकता (टॉप-अप वार्षिकी के लिए अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर)।
- v) इस विकल्प के प्रयोग के बाद, वार्षिकी राशि, मृत्यु हितलाभ और अन्य हितलाभ (यदि कोई हों) निकासी की तिथि से प्रभावी रूप से संशोधित किए जाएंगे, अर्थात् यदि नकदीकरण विकल्प हेतु प्रदत्त कुल प्रीमियम का $x\%$ चुना गया है, तो संशोधित वार्षिकी राशि, मृत्यु हितलाभ, अभ्यर्पण मूल्य और अन्य हितलाभ, किसी भी नकदीकरण विकल्प के समायोजन के बिना मूल पॉलिसी के अंतर्गत देय मूल राशि के $(100 - x)\%$ तक घटा दिए जाएंगे। यही विधि किसी भी आगामी नकदीकरण पर भी लागू होगी।

इस विकल्प का प्रयोग, समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 में परिभाषित न्यूनतम सीमाओं के कम से कम बराबर संशोधित वार्षिकी भुगतान के अधीन अनुमत होगा।

III. अग्रिम वार्षिकी विकल्प:

प्रीमियम की वापसी के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्प (विकल्प-9 और 11) के तहत, पहली मृत्यु पर (बीमित किए गए जीवन में से किसी एक में से), जीवित वार्षिकीधारी के पास 'अग्रिम वार्षिकी अवधि' के दौरान देय वार्षिकी के बट्टाकृत नकद मूल्य को एकमुश्त राशि के रूप में निकालने का विकल्प होगा, बशर्ते कि:

- i) 'अग्रिम वार्षिकी अवधि' पहली मृत्यु (बीमित किए गए जीवन में से किसी एक) के मामले में अग्रिम वार्षिकी प्राप्त करने के विकल्प के प्रयोग की तारीख के तुरंत बाद पॉलिसी वर्षगांठ से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि होगी।
- ii) इस विकल्प का प्रयोग पहली मृत्यु (बीमित किए गए जीवन) की तारीख से 6 महीने के भीतर, आस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद ही किया जा सकता है।
- iii) पॉलिसीधारक (बीमाकृत व्यक्तियों में से उत्तरजीवी) को अग्रिम वार्षिकी अवधि के दौरान देय अधिकतम 5 वर्षों की वार्षिकियों (या 1% से 100% तक इसका

कोई अनुपात) के बट्टाकृत नकद मूल्य को एकमुश्त प्राप्त करने का विकल्प होगा, जिसकी बट्टाकरण गणना विकल्प के प्रयोग की तिथि के तुरंत बाद वाली पॉलिसी वर्षगाँठ की तिथि तक की जाएगी।

iv) पॉलिसी वर्ष के दौरान वार्षिकी भुगतान, जिसमें विकल्प का प्रयोग किया गया है, नियत होने पर देय होता रहेगा।

v) इस विकल्प का उपयोग करने पर, 'अग्रिम वार्षिकी राशि' का तुरंत एकमुश्त भुगतान किया जाएगा और 'अग्रिम वार्षिकी अवधि' के लिए वार्षिकी भुगतान उनकी नियत तारीख पर देय वार्षिकी के शेष (यदि कोई हो) के लिए जारी रहेगा। जैसे यदि पॉलिसीधारक अग्रिम वार्षिकी विकल्प के रूप में मूल वार्षिकी राशि का $x\%$ प्राप्त करना चुनता है, तो मूल वार्षिकी का $(100-x)\%$ अग्रिम वार्षिकी अवधि के दौरान भुगतान किया जाता रहेगा।

vi) चयनित 'अग्रिम वार्षिकी अवधि' और अग्रिम भुगतान के लिए वार्षिकी के अनुपात के लिए, 'अग्रिम वार्षिकी राशि' की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

अग्रिम वार्षिकी राशि = 'अग्रिम वार्षिकी अवधि' के दौरान देय वार्षिकी किस्तों का बट्टाकृत मूल्य $\times$ अग्रिम के लिए वार्षिकी का अनुपात

vii) वार्षिकी के बट्टाकृत मूल्यों को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर निम्नलिखित पद्धति का उपयोग करके निकाली जाएगी:

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि में शुरू होने वाले अग्रिम वार्षिकी विकल्पों के लिए, वार्षिकी अग्रिम की छूट के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक दर होगी जो 5 वर्ष की जी-सेक प्रतिफल (यील्ड) से अधिक नहीं होगी; जहां, 5-वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल (यील्ड) पिछले वित्तीय वर्ष के आखिरी कारोबारी दिन के समान होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि के लिए, वार्षिकी किस्तों का बट्टाकृत मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 6.78% प्रति वर्ष होगी, जो चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित होगी।

कोई भी परिवर्तन छूट के लिए ब्याज दर के निर्धारण के आधार पर अनुमोदन के अधीन होगा।

viii) एक बार जब 'अग्रिम वार्षिकी अवधि' समाप्त हो जाती है, तो मूल नियमों और शर्तों के अनुसार वार्षिकी भुगतान फिर से शुरू हो जाएगा।

ix) यदि, अग्रिम वार्षिकी राशि प्राप्त करने के बाद, जीवित वार्षिकीधारी अभ्यर्पण कर देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अभ्यर्पण या मृत्यु हितलाभ निम्नलिखित राशि से कम हो जाएगा:

- यदि जीवित वार्षिकीधारी 'अग्रिम वार्षिकी अवधि' शुरू होने से पहले अभ्यर्पण कर देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अभ्यर्पण या मृत्यु हितलाभ पहले से भुगतान की गई संपूर्ण वार्षिकी राशि से कम हो जाएगा।
- यदि जीवित वार्षिकीधारी 'अग्रिम वार्षिकी अवधि' के दौरान अभ्यर्पण करता

है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अभ्यर्पण या मृत्यु हितलाभ को बकाया अग्रिम वार्षिकी राशि से कम कर दिया जाएगा जो इसके बराबर होगी:

अग्रिम वार्षिकी राशि $\times (n-t)/n$

जहां,

n = 'अग्रिम वार्षिकी अवधि' महीनों में

t = अग्रिम वार्षिकी अवधि के प्रारंभ से अभ्यर्पण की तिथि या जीवित वार्षिकीधारी की मृत्यु की तिथि तक पूर्ण हुए महीनों में व्यतीत अवधि।

IV. मृत्यु हितलाभ के भुगतान हेतु उपलब्ध विकल्प:

वार्षिकीधारी को चालू पॉलिसी के साथ-साथ प्रदत्त पॉलिसी के तहत नामांकित व्यक्ति को मृत्यु हितलाभ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुनना होगा। मृत्यु दावा राशि का भुगतान वार्षिकीकर्ता द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रस्ताव चरण में वार्षिकीधारकों द्वारा इस विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस विकल्प को बाद में पॉलिसी अवधि के दौरान वार्षिकी के माध्यम से उसके जीवनकाल में बदला जा सकता है।

- **एकमुश्त मृत्यु हितलाभ:** इस विकल्प के तहत संपूर्ण मृत्यु हितलाभ नामित व्यक्ति को एकमुश्त देय होगा।
- **मृत्यु हितलाभ का वार्षिकीकरण:** इस विकल्प के तहत मृत्यु पर देय हितलाभ की राशि का उपयोग वार्षिकीधारी/अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु की तारीख से नामांकित व्यक्तियों के लिए निगम से तत्काल वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा। मृत्यु दावा स्वीकार करने पर नामांकित व्यक्ति को देय वार्षिकी की राशि नामांकित व्यक्ति की उम्र और वार्षिकीधारी (संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में अंतिम उत्तरजीवी) की मृत्यु की तारीख के अनुसार प्रचलित तत्काल वार्षिकी दरों पर आधारित होगी। मृत्यु पर देय हितलाभ राशि के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए इस विकल्प को चुना जा सकता है। हालाँकि, प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए वार्षिकी भुगतान उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना की पात्रता शर्तों और उसके बाद वार्षिकी के लिए न्यूनतम सीमा पर प्रचलित नियामक प्रावधानों के अधीन होगा। यदि उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना की पात्रता शर्तें पूरी नहीं होती हैं या यदि मृत्यु पर देय हितलाभ की राशि वार्षिकी की न्यूनतम राशि खरीदने के लिए अपर्याप्त है, तो नामांकित व्यक्तियों को राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में, प्रति रु. 1,000 क्रय मूल्य पर तालिका वार्षिकी दर में वृद्धि के रूप में 2.00% प्रोत्साहन राशि उपलब्ध होगी।
- **किश्त में:** इस विकल्प के तहत मृत्यु पर देय हितलाभ राशि चालू पॉलिसी के साथ-साथ चुकता (पेड-अप) पॉलिसी के तहत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी गई अवधि में किस्तों में प्राप्त की जा सकती है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसी के तहत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या

आंशिक हिस्से के लिए किया जा सकता है। वार्षिकीधारी द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात् शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किश्तों का भुगतान चुने गए विकल्प के अनुसार वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या तिमाही या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा बशर्ते भुगतान के विभिन्न तरीकों के लिए न्यूनतम किस्त राशि इस प्रकार होगी:

किश्त भुगतान का तरीका	न्यूनतम किश्त राशि
मासिक	रु. 5,000/-
तिमाही	रु. 15,000/-
अर्धवार्षिक	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि वार्षिकीधारी द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावा राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, किस्त राशि पर पहुंचने के लिए लागू ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 साल की अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल प्रति वर्ष शून्य से 2% से कम नहीं होगी; जहां, 10 साल की अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के समान होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.11% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

V. आश्रित दिव्यांग व्यक्ति के लाभ हेतु योजना लेने का विकल्प:

यदि प्रस्तावक पर आश्रित व्यक्ति विकलांग (दिव्यांगजन) है, तो प्रस्तावक 50,000 रुपये के न्यूनतम खरीद मूल्य के अधीन नामांकित व्यक्ति के रूप में दिव्यांगजन के लाभ के लिए स्वयं के जीवन पर विकल्प -10 (एकल जीवन के लिए खरीद मूल्य के रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी) खरीद सकता है।

वार्षिकीधारी (प्रस्तावक) की मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु हितलाभ का उपयोग दिव्यांगजन के जीवन पर तत्कालीन उपलब्ध तत्काल वार्षिकी (वार्षिकीधारी द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार) क्रय करने के लिए किया जाएगा। वार्षिकीकरण की स्थिति में, न्यूनतम वार्षिकी भुगतान और क्रय मूल्य मानदंड की किसी भी सीमा के बावजूद दिव्यांगजन को वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा और लागू वार्षिकी दरें तत्कालीन प्रचलित तत्काल वार्षिकी दरें होंगी।

ऐसे मामलों में, प्रति रु. 1,000 क्रय मूल्य पर तालिका वार्षिकी दर में वृद्धि के रूप में 2.00% प्रोत्साहन राशि उपलब्ध होगी।

नामांकित व्यक्ति के रूप में आश्रित विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) की पात्र विकलांगता तय करने के लिए, समय-समय पर संशोधित "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 2 (आर) या इस संबंध में किसी

अन्य लागू अधिनियम के अनुसार “बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति” के अर्थ का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

6. क्यूआरओपीएस के रूप में खरीदी गई योजना (योग्य मान्यता प्राप्त विदेशी पेंशन योजना):

इस योजना के तहत वार्षिकी विकल्प-10 (एकल जीवन के लिए खरीद मूल्य के रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी) या वार्षिकी विकल्प-11 (संयुक्त जीवन के लिए खरीद मूल्य के रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी) को HMRC (हर मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स) द्वारा निर्धारित लिस्टिंग और नियमों और शर्तों के अधीन यूके कर मुक्त संपत्तियों के हस्तांतरण के माध्यम से क्यूआरओपीएस के रूप में खरीदा जा सकता है:

- i. न्यूनतम निहित आयु 55 वर्ष होगी।
- ii. यदि फ्री लुक अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द कर दी जाती है, तो रद्दीकरण से प्राप्त धनराशि केवल उस फंड हाउस में वापस स्थानांतरित की जाएगी जहां से राशि प्राप्त हुई थी।
- iii. पैरा 3.x में निर्दिष्ट न्यूनतम वार्षिकी सहित विशिष्ट योजना सुविधाओं के अधीन, HMRC के अन्य सभी नियम और शर्तें भी समय-समय पर लागू होंगी।

7. प्रीमियम का भुगतान:

यह योजना नियमित प्रीमियम या एकल प्रीमियम भुगतान विकल्प प्रदान करती है। नियमित प्रीमियम के भुगतान के मामले में, प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक (केवल NACH के माध्यम से) या वेतन कटौती (एसएसएस) के माध्यम से किया जा सकता है।

8. प्रीमियम कन्वर्जन फॅक्टर (नियमित प्रीमियम के लिए लागू):

इस प्लान के तहत, पॉलिसीधारक के पास चयनित प्रीमियम भुगतान मोड (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/मासिक) के अनुसार प्रीमियम राशि (यानी किस्त प्रीमियम) चुनने का विकल्प होता है।

वार्षिकी दरें और विभिन्न प्रोत्साहन ‘वार्षिक समतुल्य प्रीमियम’ के संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं।

चयनित प्रीमियम भुगतान मोड के लिए प्रीमियम कन्वर्जन फॅक्टर के साथ ‘किस्त प्रीमियम’ को विभाजित करके ‘वार्षिक समतुल्य प्रीमियम’ प्राप्त किया जाता है। प्रीमियम भुगतान के विभिन्न तरीकों के लिए प्रीमियम कन्वर्जन फॅक्टर निम्नानुसार हैं:

प्रीमियम भुगतान का तरीका	प्रीमियम कन्वर्जन फॅक्टर
वार्षिक	1.0000
अर्धवार्षिक	0.5090
त्रैमासिक	0.2568
मासिक	0.0861

9. वार्षिकी भुगतान का तरीका:

वार्षिकी के उपलब्ध तरीके वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक हैं। वार्षिकी बकाया राशि के रूप में देय होगी यानी वार्षिकी भुगतान वार्षिकी के निहित होने की तारीख से 1 वर्ष, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने के बाद होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वार्षिकी भुगतान का तरीका क्रमशः वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक है या नहीं। जहां, निहितीकरण की तारीख का मतलब वह तारीख है जिस दिन आस्थगन अवधि समाप्त हो जाती है और वार्षिकी भुगतान के लिए चुने गए तरीके के अनुसार वार्षिकी बकाया राशि में देय हो जाती है।

10. अनुग्रह अवधि (नियमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू):

वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की छूट अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की छूट अवधि पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की तारीख से दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम कवर के साथ पॉलिसी लागू मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि समाप्त होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

11. प्रोत्साहन/समायोजन:

इस प्लान के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहन/समायोजन उपलब्ध है:

ए. उच्च प्रीमियम/क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन राशि:

उच्च प्रीमियम के लिए प्रोत्साहन राशि (रु. में), प्रति 1000 वार्षिक समतुल्य प्रीमियम/क्रय मूल्य पर तालिका वार्षिक वार्षिकी दर में वृद्धि के रूप में इस प्रकार है:

I. नियमित प्रीमियम (विकल्प 1 से 9) :

उच्च प्रीमियम के लिए प्रोत्साहन राशि (रु.)					
आस्थगन अवधि (वर्षों में)	वार्षिक समतुल्य प्रीमियम की सीमा (रु.)				
	रु. 49,999 या उससे कम	रु. 50,000 से रु. 74,999 तक	रु. 75,000 से रु. 99,999 तक	रु. 1,00,000 से रु. 1,99,999 तक	रु. 2,00,000 या उससे अधिक
2	शून्य	8	11	13	18
3	शून्य	10	15	19	25
4	शून्य	14	22	26	32
5	शून्य	19	28	33	40
6	शून्य	26	36	41	49
7	शून्य	33	45	50	59
8	शून्य	38	50	57	66
9	शून्य	42	56	63	73
10	शून्य	46	61	69	81
11	शून्य	51	68	76	89

12	शून्य	56	74	84	98
13	शून्य	61	82	92	107
14	शून्य	67	90	101	118
15	शून्य	73	98	110	129

II. एकल प्रीमियम (विकल्प 10 व 11):

उच्च प्रीमियम के लिए प्रोत्साहन राशि (रु.)					
आस्थगन अवधि (वर्षों में)	क्रय मूल्य (रु.)				
	रु. 2,99,999 या उससे कम	रु. 3,00,000 से रु. 4,99,999 तक	रु. 5,00,000 से रु. 9,99,999 तक	रु. 10,00,000 से रु. 24,99,999 तक	रु. 25,00,000 या उससे अधिक
1	शून्य	1.50	3.00	4.00	4.50
2	शून्य	1.50	3.50	4.50	5.00
3	शून्य	2.00	4.00	5.00	5.50
4	शून्य	2.50	4.50	5.50	6.00
5	शून्य	3.00	5.00	6.00	7.00
6	शून्य	3.50	5.50	6.50	7.50
7	शून्य	4.00	6.00	7.00	8.00
8	शून्य	4.50	6.50	7.50	8.50
9	शून्य	5.00	7.00	8.00	9.00
10	शून्य	5.50	7.50	8.50	9.50
11	शून्य	6.00	8.00	9.00	10.00
12	शून्य	6.50	8.50	9.50	10.50
13	शून्य	7.00	9.00	10.00	11.00
14	शून्य	7.50	9.50	10.50	11.50
15	शून्य	8.00	10.00	11.00	12.00

बी. वार्षिकी दर में वृद्धि के जरिए ऑनलाइन बिक्री के लिए प्रोत्साहन

ऑनलाइन बिक्री के मामले में, जहां पॉलिसी अभिकर्ता या किसी अन्य मध्यस्थ की सहभागिता के बिना सीधे खरीदी जाती है, प्रति 1,000 रुपये वार्षिक समतुल्य प्रीमियम (नियमित प्रीमियम के मामले में) या खरीद मूल्य (एकल प्रीमियम के मामले में) में सारणीबद्ध वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

नियमित प्रीमियम		एकल प्रीमियम	
आस्थगन अवधि	प्रोत्साहन (%)	आस्थगन अवधि	प्रोत्साहन (%)
2 से 4 वर्ष	2.00%	1 से 15 वर्ष	2.00%
5 वर्ष	4.00%		
6 से 10 वर्ष	3.50%		
11 से 15 वर्ष	3.00%		

सी. निगम के विद्यमान पॉलिसीधारकों/नामिती/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि:

इस योजना के अंतर्गत किसी भी अभिकर्ता/कॉर्पोरेट अभिकर्ता/दलाल/बीमा विपणन फर्म के माध्यम से उत्पाद खरीदे जाने के अधीन मृतक पॉलिसीधारक के नामिती या लाभार्थी सहित विद्यमान पॉलिसीधारक की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रति रु. 1,000 वार्षिक समकक्ष प्रीमियम (नियमित प्रीमियम के मामले में) या क्रय मूल्य (एकल प्रीमियम के मामले में) पर सारणीबद्ध वार्षिकी दर में वृद्धि के रूप में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी:

पॉलिसीधारक की श्रेणी	प्रोत्साहन (%)	
	नियमित प्रीमियम	एकल प्रीमियम
ऐसा मौजूदा पॉलिसीधारक*, जिसकी निगम के साथ पॉलिसी इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष पूर्व परिपक्व हुई हो और जो इस योजना को अपने जीवन पर और/या परिवार के किसी सदस्य के जीवन पर क्रय करता है**। या यदि यह योजना निगम के मृतक पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी द्वारा क्रय की जाती है, जहाँ इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष पूर्व मृत्यु दावे का भुगतान किया गया हो। या यदि यह योजना निगम के पास चालू पॉलिसी रखने वाले किसी मौजूदा पॉलिसीधारक* द्वारा क्रय की जाती है।	0.50%	0.25%
*मौजूदा पॉलिसीधारक या तो मुख्य या द्वितीय वार्षिकीधारी हो सकता है। ** परिवार के सदस्यों का अर्थ है दादा-दादी/ नाना-नानी, माता-पिता, पति/पत्नी, पौत्र-पौत्रियों/नाती-नातिनों की संतान।		

12. वार्षिकी भुगतान आवृत्ति के लिए वार्षिकी राशि में समायोजन:

मोडल वार्षिकी राशि (अर्थात चुनी गई वार्षिकी भुगतान विधि के अनुसार वार्षिकी राशि) की गणना वार्षिक वार्षिकी राशि को मोडल वार्षिकी परिवर्तन कारक से गुणा करके और चुनी गई वार्षिकी भुगतान विधि की संबंधित आवृत्ति से भाग देकर की जाएगी।

वार्षिकी भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए मोडल वार्षिकी परिवर्तन कारक और संबंधित आवृत्ति इस प्रकार है:

विधि	आवृत्ति	मॉडल वार्षिकी रूपांतरण कारक
वार्षिक	1	1.00
अर्धवार्षिक	2	0.98
त्रैमासिक	4	0.97
मासिक	12	0.96

13. वार्षिकी का नमूना चित्रण:

नियमित प्रीमियम के लिए:

वार्षिक प्रीमियम : रु. 50,000/- (लागू करों को छोड़कर)

प्रवेश के समय वार्षिकीधारी की आयु : 45 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

प्रवेश के समय द्वितीय वार्षिकीधारी की आयु : 40 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
(विकल्प 8 और 9 के लिए लागू)

उपर्युक्त प्रीमियम राशि और वार्षिकीधारी(ओं) की आयु(ओं) के संयोजन के लिए, ऑफलाइन/नए ग्राहक हेतु विभिन्न आस्थगन अवधि के लिए वार्षिक वार्षिकी राशि इस प्रकार है:

विकल्प		आस्थगन अवधि (वर्षों में)		
		5	10	15
विकल्प 1	एकल जीवन के लिए जीवन वार्षिकी	19950	51975	101215
विकल्प 2	एकल जीवन के लिए प्रीमियम के रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	16805	43160	83100
विकल्प 3	एकल जीवन के लिए 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 50% प्रीमियम रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	16020	40790	77880
विकल्प 4	एकल जीवन के लिए 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 100% प्रीमियम रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	15240	38415	72630
विकल्प 5	एकल जीवन के लिए 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 50% प्रीमियम रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	16400	41940	80410
विकल्प 6	एकल जीवन के लिए 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 100% प्रीमियम रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	16000	40715	77715

विकल्प 7	एकल जीवन के लिए 76 वर्ष से 95 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 5% प्रीमियम रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	16345	41770	80030
विकल्प 8	संयुक्त जीवन हेतु जीवन वार्षिकी	18125	45990	86840
विकल्प 9	संयुक्त जीवन के लिए प्रीमियम के रिटर्न सहित जीवन वार्षिकी	16590	41470	77130

एकल प्रीमियम के लिए:

खरीद मूल्य : रु. 5,00,000/- (लागू करों को छोड़कर)

प्रवेश के समय वार्षिकीधारी की आयु : 45 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

प्रवेश के समय द्वितीय वार्षिकीधारी की आयु : 40 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
(विकल्प 11 के लिए लागू)

उपर्युक्त क्रय मूल्य और वार्षिकीधारी(ओं) की आयु(ओं) के संयोजन के लिए, ऑफलाइन/नए ग्राहक हेतु विभिन्न आस्थगन अवधि के लिए वार्षिक वार्षिकी राशि इस प्रकार है:

विकल्प		आस्थगन अवधि (वर्षों में)		
		5	10	15
विकल्प 10	एकल जीवन के लिए खरीद मूल्य के रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	41600	60300	89450
विकल्प 11	संयुक्त जीवन के लिए खरीद मूल्य के रिटर्न के साथ जीवन वार्षिकी	40400	56400	80100

14. पुनर्चलन (नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए लागू):

यदि अनुग्रह अवधि की समाप्ति से पहले देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है। कालातीत पॉलिसी को वार्षिकीधारी(ओं) के जीवनकाल के दौरान, किंतु प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 5 लगातार पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर पुनर्चलित किया जा सकता है। पुनर्चलन, समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर पर ब्याज (अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि) सहित सभी बकाया प्रीमियम(ओं) के भुगतान पर तथा पहले से उपलब्ध जानकारी, दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर वार्षिकीधारी(ओं) की निरंतर बीमायोग्यता की संतुष्टि पर तथा पुनर्चलन के समय निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार आवश्यक कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि हो, वार्षिकीधारी(ओं) द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर प्रभावी किया जाएगा।

निगम द्वारा किसी बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार

सुरक्षित रखा जाता है। किसी बंद पॉलिसी का पुनर्चलन निगम द्वारा उसे अनुमोदित एवं स्वीकृत कर व पुनर्चलन की रसीद जारी करने के बाद ही प्रभावी होगा।

इस उत्पाद के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर 10 साल की G-Sec दर जो पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से जुड़कर 3% या निगम के असहभागी असंबद्ध फंड पर अर्जित उपज + 1%, जो भी अधिक हो, उससे अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष होगी, जो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होगी।

पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण के आधार में कोई भी बदलाव, अनुमोदन के अधीन होगा।

कालातीत या प्रदत्त पॉलिसी को पुनर्चलित करने पर, पॉलिसी के तहत सभी हितलाभ जो कालातीत या भुगतान की तारीख से पहले प्रभावी थे, पुनः स्थापित कर दिए जाएंगे।

आस्थगन अवधि के बाद प्रदत्त पॉलिसी के पुनर्चलन पर, चालू पॉलिसी के तहत देय वार्षिकी और पुनर्चलन अवधि के दौरान पहले से भुगतान की गई भुगतान वार्षिकी के बीच का अंतर भी देय होगा।

यदि प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 5 वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान कालातीत पॉलिसी पुनर्चलित नहीं की जाती है, तो ऐसे मामले में पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर कुछ भी देय नहीं होगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

15. चुकता मूल्य (नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए लागू):

यदि एक पूर्ण वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया जाता है और कोई भी किसी भी आगामी प्रीमियम का यथोचित तरीके से भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

5 वर्ष से कम प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए, यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किए जाने के बाद किसी भी आगामी प्रीमियम का यथोचित तरीके से भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि चुकता पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी।

5 वर्ष के बराबर या उससे अधिक प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए, यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम(मों) का भुगतान किए जाने के बाद किसी भी आगामी प्रीमियम का यथोचित तरीके से भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रथम पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर, पॉलिसी पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक चुकता पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी।

चुकता (पेड-अप) पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ इस प्रकार होंगे:

ए) चुकता (पेड-अप) पॉलिसी के अंतर्गत लागू मृत्यु हितलाभ:

चुकता (पेड-अप) पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ को घटाकर ऐसी राशि कर दी जाएगी, जिसे 'चुकता (पेड-अप) मृत्यु हितलाभ' कहा जाएगा और एकल जीवन वार्षिकी के मामले में वार्षिकीधारी की मृत्यु पर और संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर देय होगा।

'चुकता (पेड-अप) मृत्यु हितलाभ' इस प्रकार होगा:

आस्थगन अवधि के दौरान मृत्यु होने पर :

सभी वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत: एकल जीवन के मामले में वार्षिकीधारी की मृत्यु पर या संयुक्त जीवन के मामले में अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर, जैसा भी मामला हो, प्रदत्त कुल प्रीमियम के 105% के बराबर राशि देय होगी।

आस्थगन अवधि के बाद मृत्यु होने पर :

वार्षिकी विकल्प 1 व 8 के अंतर्गत: कुछ भी देय नहीं होगा।

वार्षिकी विकल्प 2 व 9 के अंतर्गत: एकल जीवन के मामले में वार्षिकीधारी की मृत्यु पर या संयुक्त जीवन के मामले में अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर, जैसा भी मामला हो, प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर राशि देय होगी।

वार्षिकी विकल्प 3, 4, 5, 6 व 7 के अंतर्गत: प्रदत्त कुल प्रीमियम के 100% के बराबर राशि में से मृत्यु की तिथि तक पहले से भुगतान की गई प्रीमियम के अग्रिम प्रतिदान की राशि (यदि कोई हो, लागू वार्षिकी विकल्प के अनुसार) को घटाकर शेष राशि देय होगी।

चुकता मृत्यु हितलाभ के भुगतान पर, आगे कोई हितलाभ देय नहीं होगा।

बी) चुकता (पेड-अप) पॉलिसी के तहत देय वार्षिकी:

चुकता (पेड-अप) पॉलिसी के तहत वार्षिकी राशि को घटाकर ऐसी राशि किया जाएगा जिसे 'चुकता (पेड-अप) वार्षिकी' कहा जाएगा। और वह वास्तविक वार्षिकी राशि को कुल भुगतान किए गए प्रीमियम व वास्तविक रूप से भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के अनुपात के गुणज के बराबर होगा।

'चुकता (पेड-अप) वार्षिकी' इस प्रकार होगी:

i. आस्थगन अवधि के दौरान:

वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी के जीवित रहने पर, कुछ भी देय नहीं होगा।

ii. आस्थगन अवधि के बाद:

वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी के जीवित रहने पर, वार्षिकी विकल्प और वार्षिकी भुगतान के तरीके के अनुसार जब तक वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी और/या द्वितीय वार्षिकीधारी जीवित है, 'चुकता (पेड-अप) वार्षिकी' भुगतान बकाया राशि में किया जाएगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, एकल जीवन वार्षिकी विकल्प - 3, 4, 5, 6 और 7 (अर्थात प्रीमियम की शीघ्र वापसी वाले वार्षिकी विकल्प) के मामले में, चुकता वार्षिकी के अतिरिक्त, लागू वार्षिकी विकल्प के अनुसार कुल भुगतान की गई प्रीमियम के एक निर्दिष्ट अनुपात के बराबर राशि की प्रीमियम की शीघ्र वापसी, निर्दिष्ट आयु पूर्ण होने के साथ मेल खाने वाली या उसके तुरंत बाद की पॉलिसी वर्षगाँठ पर वार्षिकीदाता के जीवित रहने पर देय होगी।

यदि टॉप-अप वार्षिकी के लिए किसी अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, तो टॉप-अप वार्षिकी से संबंधित हितलाभ अपरिवर्तित रहेंगे।

चुकता (पेड-अप) पॉलिसी के तहत देय कुल वार्षिक राशि 'चुकता (पेड-अप) वार्षिकी' अधिक टॉप-अप वार्षिकी होगी।

किसी भी टॉप-अप वार्षिकी राशि के साथ 'चुकता (पेड-अप) वार्षिकी' उत्पाद के अंतर्गत अनुमत न्यूनतम वार्षिकी के अधीन होगी। यदि किसी टॉप-अप वार्षिकी राशि के साथ भुगतान की गई वार्षिकी उत्पाद के तहत अनुमत न्यूनतम वार्षिकी से कम है (जैसा कि ऊपर पैरा 2.x में निर्दिष्ट है) और पॉलिसी को प्रथम अदत्त प्रीमियम की तारीख से 5 वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान पुनर्चलित नहीं किया जाता है, तो पुनर्चलन अवधि की समाप्ति की तारीख पर लागू अभ्यर्पण मूल्य (पैरा 15 में निर्दिष्ट) का पुनर्चलन अवधि के अंत में एकमुश्त भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

16. अभ्यर्पण:

एकल प्रीमियम पॉलिसियाँ: एकल प्रीमियम पॉलिसियों को पॉलिसीधारक द्वारा क्रय मूल्य के भुगतान पर किसी भी समय अभ्यर्पित किया जा सकता है।

नियमित प्रीमियम पॉलिसियाँ:

- 5 वर्ष से कम प्रीमियम भुगतान अवधि वाली नियमित प्रीमियम पॉलिसियों को, आस्थगन अवधि के दौरान या उसके बाद किसी भी समय पॉलिसीधारक द्वारा अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम(मों) का भुगतान किया गया हो।
- 5 वर्ष के बराबर या उससे अधिक प्रीमियम भुगतान अवधि वाली नियमित प्रीमियम पॉलिसियों को, प्रथम पॉलिसी वर्ष की समाप्ति के बाद पॉलिसीधारक द्वारा अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम(मों) का भुगतान किया गया हो।

पॉलिसी के अंतर्गत देय अभ्यर्पण मूल्य नीचे निर्दिष्ट अनुसार होगा:

ए) आस्थगन अवधि के दौरान: सभी वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत अभ्यर्पण की अनुमति होगी।

बी) आस्थगन अवधि के बाद: अभ्यर्पण केवल प्रीमियमों/क्रय मूल्य की रिटर्न वाले वार्षिकी विकल्पों (अर्थात विकल्प: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 व 11) के अंतर्गत ही अनुमत होगा।

आस्थगन अवधि के बाद पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, विकल्प-1 और विकल्प-8 के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, देय अभ्यर्पण मूल्य **गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी)** में से जो भी अधिक हो, होगा।

जीएसवी और एसएसवी इस प्रकार देय होंगे:

i. गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी)

पॉलिसी कम से कम दो लगातार वर्षों तक प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य अर्जित करेगी।

नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के अंतर्गत:

कब देय	विकल्प 1 व 8 के अंतर्गत	विकल्प 2,3,4,5,6,7 व 9 के अंतर्गत
आस्थगन अवधि के दौरान	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, प्रदत्त कुल प्रीमियम को प्रदत्त कुल प्रीमियम पर लागू जीएसवी कारक से गुणा करके प्राप्त होगा।	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, प्रदत्त कुल प्रीमियम को प्रदत्त कुल प्रीमियम पर लागू जीएसवी कारक से गुणा करके प्राप्त होगा।
आस्थगन अवधि के बाद	कुछ भी देय नहीं होगा।	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, प्रदत्त कुल प्रीमियम के 90% में से अभ्यर्पण की तिथि तक देय व भुगतान की गई कुल वार्षिकी राशि घटाकर प्राप्त होगा। प्रीमियम के अग्रिम प्रतिदान वाले वार्षिकी विकल्पों, अर्थात विकल्प 3,4,5,6 व 7 के अंतर्गत, उपर्युक्त जीएसवी में से अभ्यर्पण की तिथि तक देय व भुगतान की गई प्रीमियम के अग्रिम प्रतिदान राशि, यदि कोई हो, घटाई जाएगी।

एकल प्रीमियम पॉलिसियों के अंतर्गत:

कब देय	विकल्प 10 व 11 के अंतर्गत
आस्थगन अवधि के दौरान	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, प्रदत्त क्रय मूल्य को क्रय मूल्य पर लागू जीएसवी कारक से गुणा करके प्राप्त होगा।
आस्थगन अवधि के बाद	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, प्रदत्त क्रय मूल्य के 90% में से अभ्यर्पण की तिथि तक देय व भुगतान की गई कुल वार्षिकी राशि घटाकर प्राप्त होगा।

ऊपर उल्लिखित प्रीमियम/क्रय मूल्य में कोई अतिरिक्त प्रीमियम, टॉप-अप वार्षिकी हेतु अतिरिक्त प्रीमियम और कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

आस्थगन अवधि के दौरान लागू जीएसवी कारक, चुने गए वार्षिकी विकल्प, आस्थगन अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है और ये नीचे दिए गए हैं :

विकल्प 1 से विकल्प 9 के लिए निश्चित अभ्यर्पण मूल्य कारक:

पॉ- लिसी वर्ष	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	90.00%	90.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3		90.00%	90.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4			90.00%	90.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5				90.00%	90.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6					90.00%	90.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7						90.00%	90.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8							90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
9								90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
10									90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
11										90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
12											90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
13												90.00%	90.00%	90.00%
14													90.00%	90.00%
15														90.00%

विकल्प 10 और विकल्प 11 के लिए निश्चित अभ्यर्पण मूल्य कारक:

पॉ- लिसी वर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%
2		75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%
3			75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%
4				90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
5					90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
6						90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
7							90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
8								90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
9									90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
10										90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
11											90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
12												90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
13													90.00%	90.00%	90.00%
14														90.00%	90.00%
15															90.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) की समीक्षा, जीवन बीमा उत्पादों के संबंध में आईआरडीएआई के मुख्य परिपत्र, संदर्भ सं.: IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी बाद के परिपत्र के अनुरूप वार्षिक रूप से की जाएगी।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाती है और कोई अतिरिक्त हितलाभ देय नहीं होगा।

ब्याज सहित बकाया कोई भी ऋण राशि और/या वार्षिकीधारी से वसूलने योग्य कोई अन्य राशि अभ्यर्पण मूल्य भुगतान से वसूल की जाएगी।

क्यूआरओपीएस के मामले में, अभ्यर्पण प्रावधान अब एचएमआरसी के नियमों और विनियमों के तहत प्रक्रियाओं के संबंध में किसी विशिष्ट प्रावधान के अधीन भी होंगे।

टॉप-अप वार्षिकी हेतु अतिरिक्त प्रीमियम के लिए :

यदि मूल पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाता है, तो सभी टॉप-अप वार्षिकी किस्तें भी उसी समय अभ्यर्पित मानी जाएँगी।

टॉप-अप वार्षिकी हेतु अतिरिक्त प्रीमियम के लिए अभ्यर्पण मूल्य की गणना, चुने गए वार्षिकी विकल्प के अनुरूप, ऊपर उल्लिखित एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए लागू पद्धति के अनुसार की जाएगी।

यदि पॉलिसी के अंतर्गत टॉप-अप वार्षिकी हेतु अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया है, तो देय कुल अभ्यर्पण मूल्य, पॉलिसी के अंतर्गत चुने गए मूल वार्षिकी विकल्प (अर्थात मूल पॉलिसी) पर लागू अभ्यर्पण मूल्य और टॉप-अप वार्षिकी किस्तों के अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, का योग होगा।

नोट: चूंकि बीमा पॉलिसी एक दीर्घकालिक अनुबंध है, इसलिए पॉलिसी को जारी रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हालांकि ऊपर उल्लिखित विभिन्न वार्षिकी विकल्पों के तहत अभ्यर्पण का प्रावधान है, यह ध्यान दिया जाए कि पॉलिसी को अभ्यर्पित करने से महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है और इसलिए, पॉलिसी जारी रखना योग्य होगा।

17. पॉलिसी ऋण:

प्रीमियमों की वापसी सहित (आस्थगन अवधि के दौरान या बाद) विकल्पों के अंतर्गत, पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य के संबंध में, निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन ऋण सुविधा उपलब्ध होगी:

- i) 5 वर्ष से कम प्रीमियम भुगतान अवधि वाली विकल्प 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के अंतर्गत नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में, ऋण सुविधा पॉलिसी की पूर्णता (अर्थात पॉलिसी जारी होने की तिथि से तीन महीने बाद) या निशुल्क अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, किसी भी समय उपलब्ध होगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम प्राप्त हो चुकी हो।

5 वर्ष के बराबर या उससे अधिक प्रीमियम भुगतान अवधि वाली विकल्प 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के अंतर्गत नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में, प्रथम पॉलिसी वर्ष की समाप्ति के बाद ऋण सुविधा उपलब्ध होगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम प्राप्त हो चुकी हो।

तथापि, पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि चाहे जो भी हो, विकल्प 3, 4, 5 व 6 के अंतर्गत प्रीमियम के अग्रिम प्रतिदान की देय तिथि पर या उसके बाद तथा विकल्प 7 के अंतर्गत प्रीमियम के अग्रिम प्रतिदान की प्रथम किस्त की देय तिथि से ऋण उपलब्ध नहीं होगा।

- ii) विकल्प 10 और 11 के अंतर्गत एकल प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में, ऋण सुविधा पॉलिसी की पूर्णता (अर्थात पॉलिसी जारी होने की तिथि) से तीन महीने बाद या निशुल्क अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, किसी भी समय उपलब्ध होगी।

- iii) संयुक्त जीवन वार्षिकी विकल्प के अंतर्गत, ऋण मुख्य वार्षिकीधारी द्वारा लिया जा सकता है और मुख्य वार्षिकीधारी की मृत्यु पर, यही द्वितीय वार्षिकीधारी द्वारा लिया जा सकता है।

- iv) पॉलिसी के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकने वाले ऋण की अधिकतम राशि इस प्रकार होगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज राशि, पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक वार्षिकी राशि के 50% से अधिक न हो, तथापि यह अभ्यर्पण मूल्य (टॉप-अप वार्षिकी किस्तों के अभ्यर्पण मूल्य सहित, यदि कोई हो) के अधिकतम 80% के अधीन होगी।

- v) आस्थगन अवधि के दौरान, ऋण पर ब्याज इस प्रकार होगा:

- आस्थगन अवधि के दौरान ऋण पर ब्याज का भुगतान निगम को अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर, ऋण लेने के समय निगम द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली दर पर किया जाएगा। ब्याज का प्रथम भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगाँठ पर या में से जो भी ऋण स्वीकृति की तिथि के तुरंत बाद आती हो, पर अगली पॉलिसी वर्षगाँठ से छह महीने पूर्व की तिथि, में से जो भी ऋण स्वीकृति की तिथि के तुरंत बाद आती हो, पर, तथा उसके बाद प्रत्येक छ महीने पर किया जाना है।

- यदि आस्थगन अवधि के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण पर ब्याज आस्थगन अवधि के बाद देय वार्षिकी राशि से वसूल किया जाएगा। आस्थगन अवधि के बाद, ऋण ब्याज पॉलिसी के अंतर्गत वार्षिकी भुगतान की आवृत्ति के अनुसार संचित होगा और यह वार्षिकी की नियत तिथि पर देय होगा।
- vii) आस्थगन अवधि के बाद पॉलिसी ऋण निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन उपलब्ध होगा
- ऋण ब्याज पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिकी राशि से वसूल किया जाएगा। ऋण ब्याज पॉलिसी के अंतर्गत वार्षिकी भुगतान की आवृत्ति के अनुसार संचित होगा और यह वार्षिकी की नियत तिथि पर देय होगा।
 - ऋण की बकाया राशि, देय ब्याज सहित, यदि कोई हो, निकास के समय दावा प्राप्तियों से या अभ्यर्पण से या पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम के अग्रिम प्रतिदान की राशि (यदि कोई हो) से वसूल की जाएगी।
- viii) नियत तिथियों पर ब्याज भुगतान में विफल रहने की स्थिति में तथा जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक होने वाली हो, पॉलिसी निगम के पक्ष में जब्त की जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज सहित, यदि कोई हो, बकाया ऋण राशि के बीच का अंतर वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी/द्वितीय वार्षिकीधारी को देय होगा और पॉलिसी समाप्त कर दी जाएगी।
- viii) 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए लिए जाने वाले ऋणों हेतु संपूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ब्याज दर, पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम व्यापार तिथि के अनुसार अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल प्रति वर्ष में 3% जोड़कर या निगम के असंबद्ध असहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए, लागू ब्याज दर संपूर्ण ऋण अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि 9.50% प्रति वर्ष होगी। पॉलिसी ऋण की ब्याज दर निर्धारित करने के आधार में कोई भी परिवर्तन अनुमोदन के अधीन होगा।
- ix) क्यूआरओपीएस के मामले में, उपर्युक्त पॉलिसी ऋण प्रावधान इस संबंध में एचएमआरसी के नियमों व विनियमों के अधीन होंगे।

18. कुछ घटनाओं में ज़बती:

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोककर रखी गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी लाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

19. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर पॉलिसी तत्काल एवं स्वतः समाप्त हो जाएगी:

- ए) वह तिथि जिस दिन एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या
- बी) मृत्यु हितलाभ के वार्षिकीकरण पर; या
- सी) वह तिथि जिस दिन पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभ का निपटान किया जाता है; या
- डी) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि पॉलिसी ने चुकता स्थिति प्राप्त नहीं की है, और पुनर्चलन अवधि के भीतर उसे पुनर्चलित नहीं किया गया है; या
- ई) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि चुकता स्थिति प्राप्त कर चुकी पॉलिसी पुनर्चलन अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं की गई है और उसमें किसी भी टॉप-अप वार्षिकी राशि सहित चुकता वार्षिकी की राशि उत्पाद के अंतर्गत अनुमत न्यूनतम वार्षिकी से कम है; या
- एफ) अनुच्छेद 16 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या
- जी) निःशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या
- एच) ऊपर अनुच्छेद 17 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

20. कर:

ऐसी बीमा योजनाओं पर भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए संवैधानिक कर, यदि कोई हों, समय-समय पर लागू कर कानूनों और कर की दरों के अनुसार होंगे।

पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम/क्रय मूल्य पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू किसी भी कर की राशि, पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से एकत्र की जाएगी। प्रदत्त कर की राशि पर योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

प्रदत्त प्रीमियम पर आयकर हितलाभ/दायित्व और इस योजना के तहत देय हितलाभों के विवरण के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

21. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियम और शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपत्तियों के कारण बतात हुए पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर निगम पॉलिसी रद्द कर देगा और स्टॉप शुल्क और भुगतान किए गए वार्षिकी शुल्क, यदि कोई हो तो, को घटाकर

एकत्रित प्रीमियम की राशि वापस कर देगा।

जहां खरीदारी मौजूदा फंड से की गई है, वहां निशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण करना लागू नहीं होगा और ऐसी पॉलिसियों को इस प्रकार माना जाएगा:

- i) यदि पॉलिसी किसी जीवन बीमा कंपनी की आस्थगित पेंशन योजना की आय से खरीदी गई है: रद्दीकरण पर, आय उस जीवन बीमा कंपनी को वापस हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- ii) यदि यह पॉलिसी ऊपर पैरा 6 में दिए गए विवरण के अनुसार क्यूआरओपीएस के रूप में खरीदी गई है: रद्दीकरण से प्राप्त धनराशि केवल उस फंड हाउस में वापस हस्तांतरित की जाएगी जहां से प्राप्त हुई थी। क्यूआरओपीएस के मामले में, उपरोक्त प्रावधान इस संबंध में एचएमआरसी के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं के संबंध में किसी भी विशिष्ट प्रावधान के अधीन होंगे।

22. आत्महत्या अपवर्जन :

यदि वार्षिकीधारी या संयुक्त जीवन के मामले में अंतिम उत्तरजीवी की पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से या यथास्थिति पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के भीतर आत्महत्या के कारण मृत्यु होती है, तो वार्षिकीधारी या यथास्थिति अंतिम उत्तरजीवी का नामिती/लाभार्थी मृत्यु की तिथि तक प्रदत्त कुल प्रीमियम (टॉप-अप वार्षिकी हेतु भुगतान की गई अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) के 80% या मृत्यु की तिथि को उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक हो, प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो।

टिप्पणी:

ए) यह खण्ड चुकता पॉलिसी पर भी लागू होगा।

बी) चुकता मूल्य अर्जित किए बिना कालातीत हुई पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

सी) आस्थगन अवधि के बाद आत्महत्या के कारण वार्षिकीधारी या संयुक्त जीवन के मामले में अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने की स्थिति में, उपर्युक्त आत्महत्या खण्ड लागू नहीं होगा और चुने गए विकल्प के अनुसार मृत्यु हितलाभ लागू होगा।

डी) ऊपर उल्लेखित प्रीमियम/क्रय मूल्य में स्पष्ट रूप से वसूल किए गए कर और अतिरिक्त प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नहीं होंगे।

23. नमूना उदाहरण:

उदाहरणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और हितलाभ के प्रवाह को कुछ सीमा तक आकड़ों के साथ समझ सके। यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन के लिए है जहाँ पॉलिसियों को अभिकर्ताओं/मध्यवर्तियों के जरिए चुना गया है।

उदाहरण 1 : विकल्प 2 – एकल जीवन के लिए प्रीमियम की रिटर्न सहित जीवन वार्षिकी

संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति के विवरण	
वितरण चैनल:	ऑफलाइन_नया ग्राहक
वार्षिकी (एकल/संयुक्त जीवन):	एकल जीवन
वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी की आयु:	60
आस्थगन अवधि:	5
प्रीमियम भुगतान अवधि :	5
प्रीमियम भुगतान की विधि:	वार्षिक

प्रस्ताव सं.:	
---------------	--

पॉलिसी के विवरण	
प्रीमियम भुगतान :	नियमित प्रीमियम
विकल्प:	विकल्प 2 : एकल जीवन के लिए प्रीमियम की रिटर्न सहित जीवन वार्षिकी
किस्त प्रीमियम (रु.):	100000
वार्षिकी भुगतान की विधि:	वार्षिक
वार्षिकी किस्त (रु.):	36130

यह हितलाभ उदाहरण पॉलिसी के अंतर्गत वर्षवार देय प्रीमियमों व हितलाभों को दर्शाने के लिए है।

प्रीमियम सारांश			
	मूल योजना	राइडर	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी रहित किस्त प्रीमियम	1,00,000.00	लागू नहीं	1,00,000.00
जीएसटी सहित किस्त प्रीमियम (प्रथम वर्ष)	1,00,000.00	लागू नहीं	1,00,000.00
जीएसटी सहित किस्त प्रीमियम (द्वितीय वर्ष से आगे)	1,00,000.00	लागू नहीं	1,00,000.00

टिप्पणी : जीएसटी दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी। वर्तमान में यह कर-मुक्त है।

पॉलिसी वर्ष (वर्ष के अंत में)	क्रय मूल्य/ वार्षिक समतुल्य प्रीमियम (संचित)	गारंटीकृत हितलाभ	
		उत्तरजीविता हितलाभ/ वार्षिकी (पॉलिसी वर्ष में)	अन्य हितलाभ (प्रीमियम की शीघ्र रिटर्न, यदि कोई हो)
1	2	3	4
1	1,00,000	0	0
2	2,00,000	0	0
3	3,00,000	0	0
4	4,00,000	0	0
5	5,00,000	0	0
6	5,00,000	36,130	0
7	5,00,000	36,130	0
8	5,00,000	36,130	0
9	5,00,000	36,130	0
10	5,00,000	36,130	0
11	5,00,000	36,130	0
12	5,00,000	36,130	0
13	5,00,000	36,130	0
14	5,00,000	36,130	0
15	5,00,000	36,130	0
16	5,00,000	36,130	0
17	5,00,000	36,130	0
18	5,00,000	36,130	0
19	5,00,000	36,130	0
20	5,00,000	36,130	0
21	5,00,000	36,130	0
22	5,00,000	36,130	0
23	5,00,000	36,130	0
24	5,00,000	36,130	0
25	5,00,000	36,130	0
26	5,00,000	36,130	0
27	5,00,000	36,130	0
28	5,00,000	36,130	0
29	5,00,000	36,130	0
30	5,00,000	36,130	0
31	5,00,000	36,130	0
32	5,00,000	36,130	0
33	5,00,000	36,130	0
34	5,00,000	36,130	0
35	5,00,000	36,130	0
36	5,00,000	36,130	0
37	5,00,000	36,130	0
38	5,00,000	36,130	0
39	5,00,000	36,130	0
40	5,00,000	36,130	0
41	5,00,000	36,130	0

गारंटीकृत हितलाभ		गैर-गारंटीकृत हितलाभ	देय अभ्यर्पण मूल्य
मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य	विशेष अभ्यर्पण मूल्य	
5	6	7	8
1,05,000	0	74,929	74,929
2,10,000	60,000	1,60,406	1,60,406
3,15,000	1,05,000	2,57,676	2,57,676
4,20,000	3,60,000	3,68,031	3,68,031
5,25,000	4,50,000	4,93,088	4,93,088
5,00,000	4,50,000	4,92,746	4,92,746
5,00,000	4,13,870	4,92,376	4,92,376
5,00,000	3,77,740	4,91,967	4,91,967
5,00,000	3,41,610	4,91,563	4,91,563
5,00,000	3,05,480	4,91,167	4,91,167
5,00,000	2,69,350	4,90,718	4,90,718
5,00,000	2,33,220	4,90,269	4,90,269
5,00,000	1,97,090	4,89,814	4,89,814
5,00,000	1,60,960	4,89,353	4,89,353
5,00,000	1,24,830	4,88,838	4,88,838
5,00,000	88,700	4,88,321	4,88,321
5,00,000	52,570	4,87,800	4,87,800
5,00,000	16,440	4,87,238	4,87,238
5,00,000	0	4,86,684	4,86,684
5,00,000	0	4,86,102	4,86,102
5,00,000	0	4,85,496	4,85,496
5,00,000	0	4,84,880	4,84,880
5,00,000	0	4,84,273	4,84,273
5,00,000	0	4,83,635	4,83,635
5,00,000	0	4,82,992	4,82,992
5,00,000	0	4,82,304	4,82,304
5,00,000	0	4,81,655	4,81,655
5,00,000	0	4,81,015	4,81,015
5,00,000	0	4,80,314	4,80,314
5,00,000	0	4,79,622	4,79,622
5,00,000	0	4,78,981	4,78,981
5,00,000	0	4,78,319	4,78,319
5,00,000	0	4,77,618	4,77,618
5,00,000	0	4,76,962	4,76,962
5,00,000	0	4,76,335	4,76,335
5,00,000	0	4,75,667	4,75,667
5,00,000	0	4,75,048	4,75,048
5,00,000	0	4,74,406	4,74,406
5,00,000	0	4,73,821	4,73,821
5,00,000	0	4,73,268	4,73,268
5,00,000	0	4,72,679	4,72,679

टिप्पणियाँ :

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और हितलाभ प्राप्त होने की प्रक्रिया को कुछ हद तक संख्यात्मक रूप में समझ सके। यह उदाहरण चुने गए विकल्प के अनुसार मानक जीवन (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय की दृष्टि से) पर लागू है।

1. यह उदाहरण वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी की आयु के आधार पर अनुबंध के प्रारंभ में उपलब्ध हितलाभ दर्शाता है। बाद के वर्षों के लिए, उपर्युक्त उदाहरण में अंतिम पॉलिसी वर्ष हेतु दर्शाई गई हितलाभ राशियाँ लागू होंगी।

2. क्रय मूल्य/वार्षिक समतुल्य प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियमों पर आवृत्ति लोडिंग और कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों के स्पष्टीकरण हेतु विक्रय साहित्य देखें।

3. दर्शाई गई वार्षिकी राशि, पॉलिसी वर्ष के दौरान देय वार्षिकी की कुल राशि है। वार्षिक विधि के अलावा वार्षिकी भुगतान की चुनी गई अन्य विधि के लिए, यह राशि चयनित विधि हेतु वार्षिकी किस्त को भुगतान की आवृत्ति से गुणा करके प्राप्त की जाती है।

4. मृत्यु हितलाभ, प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए देय विकल्प पर आधारित होगा। विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के विस्तृत स्पष्टीकरण हेतु विक्रय साहित्य देखें।

5. अभ्यर्पण मूल्य, गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक हो, होता है। एसएसवी की समीक्षा, जीवन बीमा उत्पाद पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र संदर्भ संख्या : IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी आगामी परिपत्र के अनुरूप की जाएगी।

उदाहरण 2 : विकल्प 10 – एकल जीवन के लिए प्रीमियम की रिटर्न सहित जीवन वार्षिकी

संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति के विवरण	
वितरण चैनल:	ऑफलाइन_नया ग्राहक
वार्षिकी (एकल/संयुक्त जीवन):	एकल जीवन
वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी की आयु:	60
आस्थगन अवधि:	5
प्रीमियम भुगतान अवधि :	1
प्रीमियम भुगतान की विधि:	एकल प्रीमियम

प्रस्ताव सं.:	
---------------	--

पॉलिसी के विवरण	
विकल्प:	विकल्प 10: एकल जीवन के लिए क्रय मूल्य की रिटर्न सहित जीवन वार्षिकी
क्रय मूल्य (रु.) :	1000000
वार्षिकी भुगतान की विधि:	वार्षिक
वार्षिकी किस्त (रु.):	91100

यह हितलाभ उदाहरण पॉलिसी के अंतर्गत वर्षवार देय प्रीमियमों व हितलाभों को दर्शाने के लिए है।

प्रीमियम सारांश			
	मूल योजना	राइडर	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी रहित एकल प्रीमियम	10,00,000.00	लागू नहीं	10,00,000.00
जीएसटी सहित एकल प्रीमियम	10,00,000.00	लागू नहीं	10,00,000.00

टिप्पणी : जीएसटी दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी। वर्तमान में यह कर-मुक्त है।

पॉलिसी वर्ष (वर्ष के अंत में)	क्रय मूल्य/ वार्षिक समतुल्य प्रीमियम (संचित)	गारंटीकृत हितलाभ	
		उत्तरजीविता हितलाभ/ वार्षिकी (पॉलिसी वर्ष में)	अन्य हितलाभ (प्रीमियम की शीघ्र रिटर्न, यदि कोई हो)
1	2	3	4
1	10,00,000	0	0
2	10,00,000	0	0
3	10,00,000	0	0
4	10,00,000	0	0
5	10,00,000	0	0
6	10,00,000	91,100	0
7	10,00,000	91,100	0
8	10,00,000	91,100	0
9	10,00,000	91,100	0
10	10,00,000	91,100	0
11	10,00,000	91,100	0
12	10,00,000	91,100	0
13	10,00,000	91,100	0
14	10,00,000	91,100	0
15	10,00,000	91,100	0
16	10,00,000	91,100	0
17	10,00,000	91,100	0
18	10,00,000	91,100	0
19	10,00,000	91,100	0
20	10,00,000	91,100	0
21	10,00,000	91,100	0
22	10,00,000	91,100	0
23	10,00,000	91,100	0
24	10,00,000	91,100	0
25	10,00,000	91,100	0
26	10,00,000	91,100	0
27	10,00,000	91,100	0
28	10,00,000	91,100	0
29	10,00,000	91,100	0
30	10,00,000	91,100	0
31	10,00,000	91,100	0
32	10,00,000	91,100	0
33	10,00,000	91,100	0
34	10,00,000	91,100	0
35	10,00,000	91,100	0
36	10,00,000	91,100	0
37	10,00,000	91,100	0
38	10,00,000	91,100	0
39	10,00,000	91,100	0
40	10,00,000	91,100	0
41	10,00,000	91,100	0

गारंटीकृत हितलाभ		गैर-गारंटीकृत हितलाभ	देय अभ्यर्पण मूल्य
मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य	विशेष अभ्यर्पण मूल्य	
5	6	7	8
10,50,000	7,50,000	9,03,141	9,03,141
10,50,000	7,50,000	9,67,908	9,67,908
10,50,000	7,50,000	10,37,886	10,37,886
11,13,294	9,00,000	11,13,294	11,13,294
11,94,934	9,00,000	11,94,934	11,94,934
10,00,000	9,00,000	11,91,515	11,91,515
10,00,000	8,08,900	11,87,922	11,87,922
10,00,000	7,17,800	11,84,129	11,84,129
10,00,000	6,26,700	11,80,215	11,80,215
10,00,000	5,35,600	11,76,192	11,76,192
10,00,000	4,44,500	11,71,930	11,71,930
10,00,000	3,53,400	11,67,540	11,67,540
10,00,000	2,62,300	11,63,004	11,63,004
10,00,000	1,71,200	11,58,320	11,58,320
10,00,000	80,100	11,53,399	11,53,399
10,00,000	0	11,48,340	11,48,340
10,00,000	0	11,43,143	11,43,143
10,00,000	0	11,37,736	11,37,736
10,00,000	0	11,32,219	11,32,219
10,00,000	0	11,26,527	11,26,527
10,00,000	0	11,20,671	11,20,671
10,00,000	0	11,14,687	11,14,687
10,00,000	0	11,08,619	11,08,619
10,00,000	0	11,02,397	11,02,397
10,00,000	0	10,96,082	10,96,082
10,00,000	0	10,89,603	10,89,603
10,00,000	0	10,83,142	10,83,142
10,00,000	0	10,76,652	10,76,652
10,00,000	0	10,70,008	10,70,008
10,00,000	0	10,63,364	10,63,364
10,00,000	0	10,56,820	10,56,820
10,00,000	0	10,50,249	10,50,249
10,00,000	0	10,43,632	10,43,632
10,00,000	0	10,37,152	10,37,152
10,00,000	0	10,30,801	10,30,801
10,00,000	0	10,24,450	10,24,450
10,00,000	0	10,18,300	10,18,300
10,00,000	0	10,12,224	10,12,224
10,00,000	0	10,06,395	10,06,395
10,00,000	0	10,00,777	10,00,777
10,00,000	0	9,95,251	9,95,251

टिप्पणियाँ:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्पाद की विशेषताओं और हितलाभ प्राप्त होने की प्रक्रिया को कुछ हद तक संख्यात्मक रूप में समझ सके।

यह उदाहरण चुने गए विकल्प के अनुसार मानक जीवन (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय की दृष्टि से) पर लागू है।

1. यह उदाहरण वार्षिकीधारी/मुख्य वार्षिकीधारी की आयु के आधार पर अनुबंध के प्रारंभ में उपलब्ध हितलाभ दर्शाता है। बाद के वर्षों के लिए, उपर्युक्त उदाहरण में अंतिम पॉलिसी वर्ष हेतु दर्शाई गई हितलाभ राशियाँ लागू होंगी।

2. क्रय मूल्य/वार्षिक समतुल्य प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियमों पर आवृत्ति लोडिंग और कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों के स्पष्टीकरण हेतु विक्रय साहित्य देखें।

3. दर्शाई गई वार्षिकी राशि, पॉलिसी वर्ष के दौरान देय वार्षिकी की कुल राशि है। वार्षिक विधि के अलावा वार्षिकी भुगतान की चुनी गई अन्य विधि के लिए, यह राशि चयनित विधि हेतु वार्षिकी किस्त को भुगतान की आवृत्ति से गुणा करके प्राप्त की जाती है।

4. मृत्यु हितलाभ, प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए देय विकल्प पर आधारित होगा। विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के विस्तृत स्पष्टीकरण हेतु विक्रय साहित्य देखें।

5. अभ्यर्पण मूल्य, गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक हो, होता है। एसएसवी की समीक्षा, जीवन बीमा उत्पाद पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र संदर्भ संख्या : IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी आगामी परिपत्र के अनुरूप की जाएगी।

17. शिकायत निवारण तंत्र:

निगम का:

ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) मौजूद हैं। ग्राहक हमारी वेबसाइट (<https://licindia.in/web/guest/grievances>) पर जाकर जीआरओ के नाम और संपर्क जानकारी तथा शिकायत-संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) <http://www.licindia.in> के ज़रिए ग्राहक-अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली आरंभ की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/परिवाद दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति का पता लगा सकता है। ग्राहक अपनी सभी शिकायतों के निवारण के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति को भेजने का विकल्प है। उच्च न्यायालय/ज़िला न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर दावा विवाद निवारण समिति का एक सदस्य होता है।

आईआरडीआई का:

यदि ग्राहक प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है या उसे 15 दिनों के भीतर हमसे कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वह निम्नलिखित में से कोई भी तरीका अपनाकर पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

- i) टोल-फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीआई शिकायत कॉल सेंटर-(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल करना
- ii) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेजना
- iii) <https://bimabharosa.irdai.gov.in> पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना
- iv) कूरियर/पत्र के ज़रिए शिकायत भेजने का पता:

महाप्रबंधक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण।
पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, सर्वे नं. 115/1,
वित्तीय ज़िला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिससे ग्राहक किफ़ायती और तेज़ मध्यस्थता प्राप्त कर सकते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान समय-समय पर यथासंशोधित होंगे। इस प्रावधान का सरलीकृत संस्करण इस प्रकार है:

- (1) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आधार पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, अर्थात् पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो।
- (2) धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

शर्तें कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में लिखित में सूचित करना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I- इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, “धोखाधड़ी” शब्द का मतलब बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए उकसाने की मंशा से किए गए निम्नांकित में से किसी भी कार्य से है:-

- (ए) तथ्य के रूप में किसी ऐसे विचार का सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;
- (बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जबकि उसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसकी वास्तविकता का विश्वास हो;
- (सी) कोई और कृत्य जो धोखा देने के लिए उपयुक्त हो; और
- (डी) ऐसा कोई कृत्य या भूल-चूक जिसे कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण II- ऐसे तथ्यों के बारे में मात्र मौन रहना जिनसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के प्रभावित होने की संभावना हो, तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए, तो बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह बोलने से मौन रहे या जब तक कि उसका मौन रहना अपने आप में ही बोलने के समतुल्य न हो।

- (3) उपधारा (2) में कोई भी बात शामिल होते हुए भी, कोई

बीमाकर्ता धोखाधड़ी के आधार पर किसी जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत नहीं करेगा, यदि बीमाकर्ता यह प्रमाणित कर सकता है कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना उसकी

सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य था या यह कि उस तथ्य को छिपाए जाने की कोई जान बूझ कर मंशा नहीं थी या यह कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते कि धोखाधड़ी की स्थिति में यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो झूठ को गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर होता है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति, जो बीमा के अनुबंध की माँग करता है या बातचीत करता है, वह अनुबंध करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट समझा जाएगा।

- (4) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, इस आधार पर कि बीमाकर्ता के जीवन की प्रत्याशा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के किसी कथन को छिपाने का कथन प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज़ पर गलत ढंग से किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत का ऐसा निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत करने की स्थिति में, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, अस्वीकृत की तारीख तक पॉलिसी पर लिए गए प्रीमियम बीमित व्यक्ति या विधिक प्रतिनिधियों या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को ऐसे अस्वीकृति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अदा किए जाएँगे।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तथ्य का मिथ्या कथन या छिपाया जाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रमाणित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता उक्त तथ्य से अवगत होता, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

- (5) इस धारा में शामिल कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से रोक नहीं सकेगी यदि वह ऐसा करने का हकदार हो, और किसी भी पॉलिसी को सिर्फ़ इस कारण प्रश्नगत किया गया नहीं समझा जाएगा कि पॉलिसी की शर्तें बाद में यह प्रमाणित किए जाने पर ठीक कर ली गई हैं कि बीमित व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41):

- 1) कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में कोई बीमा

लेने या नवीकृत करने या जारी रखने हेतु, प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी भी रियायत की अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा और न ही पॉलिसी लेने या नवीकृत करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति कोई भी रियायत स्वीकार करेगा, सिवाए उस रियायत के जिसकी अनुमति बीमाकर्ता के प्रकाशित सूचीपत्रों या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2. इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएँ जो एलआईसी पर लागू हैं, समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार लागू होंगी।

इस उत्पाद विवरणिका में इस योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज़ देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

नकली फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ी वाले ऑफर से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या इसके अधिकारी बीमा व्यवसाय संबंधी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि बीमा पॉलिसियाँ बेचना, बोनस की घोषणा करना या प्रीमियम का निवेश करना, या राशि वापस करना। पॉलिसीधारकों या ऐसे फ़ोन कॉल प्राप्त करने वाले संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

“भारतीय जीवन बीमा निगम” की स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 सितम्बर, 1956 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के समस्त बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचने और उन्हें बीमित घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से जीवन बीमा का दूर-दूर तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करना था। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी प्रमुख जीवन बीमाकर्ता बना हुआ है और अपने पिछले रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक नए विकास पथ पर तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा है। सात दशकों से भी ज़्यादा समय से अपने अस्तित्व में, एलआईसी ने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में दृढ़ता से अपना उत्तरोत्तर विकास किया है।



पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

केंद्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512